



2026: AHC: LKO:8349

ए.एफ.आर.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 368 वर्ष 2026

मयंक त्रिपाठी और 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : प्रभु रंजन त्रिपाठी,

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.),

माननीय सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभु रंजन त्रिपाठी और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना गया।
2. सुस्थापित विधिक स्थिति के दृष्टिगत, यह न्यायालय विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने के लिए प्रवृत्त नहीं है।
3. आवेदकों ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे इसके पश्चात् बी.एन.एस.एस. के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 528 के अधीन निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन संस्थित किया है:-

"अतएव, यह अत्यंत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपराधिक प्रकरण संख्या 5554 वर्ष 2024 की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को, जिसमें अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)-1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा पारित आक्षेपित आहूत करने वाला आदेश (समनिंग ऑर्डर) दिनांक 04.10.2024 भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बी.एन.एस. की धारा 85, 115(2), 352, 351(2) और डी.पी. अधिनियम (दहेज प्रतिषेध अधिनियम) की धारा 3/4 के अधीन अपराधों के संबंध में याचिकाकर्ताओं को नेमी और यांत्रिक रीति से आहूत किया है (अनुलग्नक संख्या 1), अभिखंडित करने की कृपा करे।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इंगित किए गए सुसंगत उपबंधों के दृष्टिगत, बिल्कुल आरंभ में ही यह कथन किया जाता है कि इस प्रक्रम पर आवेदक की प्रार्थना पर, जो आपराधिक प्रकरण संख्या 5524 वर्ष 2024 में आदेश दिनांक 04.10.2024 पारित करते समय विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)-1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर (संक्षेप में मजिस्ट्रेट) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित है, लंबित आपराधिक कार्यवाहियों को चुनौती देने का विकल्प खुला छोड़ते हुए विचार किया जाए, यदि कारण उत्पन्न होता है। प्रार्थना स्वीकार की गई।
5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदित किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से आवेदकों को बी.एन.एस. की धारा 85, 115(2), 352, 351(2) और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध के लिए विचारण का सामना करने हेतु आहूत किया गया है।
6. आगे यह निवेदित किया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.2024 सांविधिक उपबंध अर्थात् बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के उल्लंघन में है, जिसके अनुसार संज्ञान लेने और अभियुक्त को आहूत करने से पूर्व संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य है, और वर्तमान मामले में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवादी और गवाहों के सभी बयानों को अभिलिखित करने के पश्चात् ही, मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 04.10.2024 पारित किया है।

7. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') (अब निरसित) की धारा 200 और बी.एन.एस.एस. की धारा 223 का संदर्भ दिया गया है जो इस प्रकार पढ़ी जाती हैं:-

दं.प्र.सं., 1973 की धारा 200	बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 223
परिवादी का परीक्षण। परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट परिवादी और उपस्थित गवाहों का, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षण करेगा, और ऐसे परीक्षण के सार को लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर परिवादी और गवाहों के, तथा मजिस्ट्रेट के	परिवादी का परीक्षण। (1) अधिकारिता रखने वाला कोई मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय परिवादी और उपस्थित गवाहों का, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षण करेगा, और ऐसे परीक्षण के सार को लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भी हस्ताक्षर होंगे: परंतु यह कि, जब परिवाद लिखित रूप में किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को परिवादी और गवाहों का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी-- (क) यदि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहे या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले किसी लोक सेवक ने या किसी न्यायालय ने परिवाद किया है; या (ख) यदि मजिस्ट्रेट धारा 192 के अधीन जांच या विचारण के लिए मामला किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपता है: परंतु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी और गवाहों का परीक्षण करने के पश्चात्	परिवादी और गवाहों के, तथा मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे: परंतु यह कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुने जाने का अवसर दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा: परंतु यह और कि जब परिवाद लिखित रूप में किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को परिवादी और गवाहों का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी-- (क) यदि अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहे या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले किसी लोक सेवक ने या किसी न्यायालय ने परिवाद किया है; या (ख) यदि मजिस्ट्रेट धारा 212 के अधीन जांच या विचारण के लिए मामला किसी
--	--

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 192 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला सौंपता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनका पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी।	अन्य मजिस्ट्रेट को सौंपता है: परंतु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी और गवाहों का परीक्षण करने के पश्चात् धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट को मामला सौंपता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उनका पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी। (2) कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके पदीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के अनुक्रम में किया गया है, जब तक कि— (क) ऐसे लोक सेवक को उस स्थिति के बारे में प्राख्यान करने का अवसर न दिया
--	---

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



	गया हो जिसके कारण ऐसी अभिकथित घटना हुई; और (ख) ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त न हो गई हो।
--	---

8. इस न्यायालय की एक समन्वय न्यायपीठ द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन आवेदन संख्या 10390 वर्ष 2024 (2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 8212) प्रतीक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.11.2024, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बासनगौड़ा आर. पाटिल बनाम शिवानंद एस. पाटिल; 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन कर्नाटक 96 के मामले में पारित निर्णय और एर्नाकुलम स्थित केरल उच्च न्यायालय द्वारा सुबी एंटनी पुत्र स्वर्गीय पी.डी. एंटनी बनाम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के मामले में 22.01.2025 को आपराधिक एम.सी.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



508 वर्ष 2025 (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन केरल 532) में सुनाए गए निर्णय पर भी अवलंब लिया गया है।

8.1 बासनगौड़ा (उपरोक्त) के सुसंगत प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"8. वर्तमान मामले में उत्पन्न अस्पष्टता बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के निर्वचन के संबंध में है, कि क्या परिवाद प्रस्तुत करने पर, परिवादी के शपथपूर्वक दिए गए बयान को अभिलिखित किए बिना अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाना चाहिए, या शपथपूर्वक दिए गए बयान को अभिलिखित करने के पश्चात् अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधि का आदेश यह है कि, किसी अपराध का संज्ञान लेते समय परिवादी का शपथ पर परीक्षण किया जाएगा। परंतु यह आज्ञापक करता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुने जाने का अवसर दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

9. इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, उसमें प्रयुक्त भाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी अपराध का संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट के पास परिवादी का शपथ पर दिया गया बयान होना चाहिए और यदि कोई गवाह उपस्थित हैं, तो उनके बयान होने चाहिए। बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के अधीन संज्ञान लेना शपथपूर्वक दिए गए बयान को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिलिखित करने के पश्चात् आएगा, उस समय अभियुक्त को एक नोटिस भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि परंतुक सुने जाने का अवसर प्रदान करने को आज्ञापक बनाता है।

10. अतः, प्रक्रियात्मक क्वायद इस प्रकार होगी:

बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया जाता है; परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर, यह मजिस्ट्रेट / संबंधित न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह परिवादी का शपथ पर परीक्षण करे, जो उसका शपथपूर्वक दिया गया बयान होगा और यदि कोई गवाह उपस्थित हैं तो उनका परीक्षण करे, और ऐसे परीक्षण के सार को लेखबद्ध किया जाना चाहिए। इस समय संज्ञान लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को, परंतुक के निबंधनों के अनुसार, अभियुक्त को एक नोटिस जारी करना होता है जिसे सुने जाने का अवसर दिया जाता है। अतः, उस प्रक्रम पर अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाएगा और अभियुक्त को सुनने के पश्चात्, संज्ञान लिया जाएगा और उसके पश्चात् उसकी प्रक्रिया को विनियमित किया जाएगा।

11. परंतुक यह इंगित करता है कि अभियुक्त को सुने जाने का अवसर मिलना चाहिए। सुने जाने के अवसर का अर्थ कोई रिक्त औपचारिकता नहीं होगी। अतः, बी.एन.एस.एस. की धारा 223 की उपधारा (1) के परंतुक के निबंधनों के अनुसार अभियुक्त को भेजे जाने वाले नोटिस के साथ परिवाद; शपथपूर्वक दिया गया बयान; गवाहों का बयान, यदि कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हो, संलग्न किया जाएगा ताकि संज्ञान लेने से पूर्व अभियुक्त उपस्थित हो सके और अपना मामला प्रस्तुत कर सके। इस न्यायालय के सुविचारित मत में, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 223 का यही स्पष्ट तात्पर्य है।"

8.2. सुबी एंटनी बनाम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-III, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन केरल 532, के सुसंगत प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

4. चूंकि बी.एन.एस.एस. में 'संज्ञान' पद को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः एस.के. सिन्हा, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड [(2008) 2 एस.सी.सी. 492] में उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित पांडित्यपूर्ण स्पष्टीकरण का संदर्भ लेना लाभप्रद होगा।

"19. संहिता में "संज्ञान" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। परंतु शब्द (संज्ञान) अनिश्चित अर्थ वाला है। दांडिक विधि में इसका कोई गूढ़ या रहस्यमय महत्व नहीं है। इसका अर्थ केवल "अवगत होना" है और जब इसका उपयोग किसी न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ "न्यायिक रूप से ध्यान देना" होता है। यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के संबंध में कार्यवाहियां प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. "संज्ञान लेने" में किसी भी प्रकार की कोई औपचारिक कार्यवाही अंतर्वलित नहीं है। यह तब होता है जैसे ही कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संदिग्ध रूप से किए जाने पर अपना मस्तिष्क (विवेक) लगाता है। दांडिक कार्यवाहियों के प्रारंभ होने से पूर्व संज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार संज्ञान लेना एक वैध विचारण आयोजित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त (साइन क्वा नॉन) या पुरोभाव्य शर्त है। संज्ञान किसी अपराध का लिया जाता है न कि किसी अपराधी का। किसी मजिस्ट्रेट ने किसी अपराध का संज्ञान लिया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और इस संबंध में कोई सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता है कि कब यह कहा जा सकता है कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है।"

5. इस प्रकार, किसी अपराध का संज्ञान लेना तब होता है जब मजिस्ट्रेट अभियुक्त द्वारा किए गए अभिकथित ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ करने के दृष्टिकोण से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है। एक बार संज्ञान ले लिए जाने के पश्चात्, तब मजिस्ट्रेट को यह विनिश्चय करना होता है कि अभियुक्त को आदेशिका जारी की जाए या नहीं। धारा 225 मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् भी अभियुक्त को आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने की शक्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदत्त करती है। उस प्रक्रम पर मजिस्ट्रेट या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है, या यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है। श्रीमती नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कौजलगी [(1976) 3 एस.सी.सी. 736] में सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एन.एस.एस. की धारा 225 के तत्स्थानी, दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन जांच के सीमित दायरे पर विस्तार से चर्चा करते हुए, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया;

"4. इस प्रकार इस न्यायालय के दो निर्णयों से यह स्पष्ट होगा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के अधीन जांच का दायरा अत्यंत सीमित है – परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता या असत्यता को अभिनिश्चित करने तक ही सीमित है— (i) परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पर : (ii) यह पता लगाने के सीमित प्रयोजन के लिए कि क्या आदेशिका जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है; और (iii) अभियुक्त के पास उपलब्ध किसी भी बचाव पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना, पूर्णतः परिवादी के दृष्टिकोण से प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए। वस्तुतः यह सुस्थापित है कि धारा 202 के अधीन कार्यवाहियों में अभियुक्त का बिल्कुल भी कोई सुने जाने का अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं है और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह इस प्रश्न पर सुने जाने का हकदार नहीं है कि उसके विरुद्ध आदेशिका जारी की जानी चाहिए या नहीं।"

उपर्युक्त निर्णय संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि संहिता के अधीन उस प्रक्रम पर भी अभियुक्त का कोई सुने जाने का अधिकार नहीं था जहां मजिस्ट्रेट यह विनिश्चय करता है कि अभियुक्त को आदेशिका जारी की जाए या नहीं।

6. इस प्रश्न पर विचार करते हुए, ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक [(1984) 2 एस.सी.सी. 500] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना भी लाभप्रद होगा, जिसमें परिवाद प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार दिया गया है;

"जब कोई परिवाद प्रस्तुत किया जाता है, तो दं.प्र.सं. की धारा 200 के परंतुक में निर्धारित मामलों को छोड़कर, न्यायालय को परिवादी का शपथ पर परीक्षण करना होता है। परिवादी का शपथ पर परीक्षण करने और उपस्थित गवाहों का, यदि कोई हों, परीक्षण करने के पश्चात्, जिसका अर्थ यह है कि जो गवाह उपस्थित नहीं हैं उनका परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय के लिए यह न्यायिक रूप से अवधारित करने का विकल्प खुला होगा कि क्या आदेशिका जारी करने का मामला बनता है। जब यह कहा जाता है कि न्यायालय आदेशिका जारी करता है, तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसका अर्थ है कि न्यायालय ने अपराध का संज्ञान ले लिया है और कार्यवाही प्रारंभ करने का विनिश्चय किया है और संज्ञान लेने की एक दृश्य अभिव्यक्ति के रूप में, आदेशिका जारी की जाती है जिसका अर्थ है कि अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है। यह, यथास्थिति, सम्मन या वारंट का रूप ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि परिवादी और उसके गवाहों का परीक्षण करने के पश्चात्, न्यायालय स्वयं को दुगना आश्वस्त करने के लिए आदेशिका जारी करने को मुत्तवी कर दे, और परिवादी को अपने गवाहों को उपस्थित रखने के लिए कहे। न्यायालय के पास खुला दूसरा विकल्प किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश देना है।

परिवाद प्राप्त होने और न्यायालय द्वारा सत्यापन अभिलिखित करने पर, न्यायालय के लिए प्रकट किए गए तथ्यों पर अपना मस्तिष्क लगाना और न्यायिक रूप से यह अवधारित करना खुला है कि आदेशिका जारी की जानी चाहिए या नहीं। आदेशिका जारी करने के लिए यह कोई पुरोभाव्य शर्त नहीं है कि न्यायालय के लिए धारा 202 द्वारा परिकल्पित जांच आयोजित करना या उसमें अनुध्यात अन्वेषण का निर्देश देना आवश्यक है। बिना जांच आयोजित किए या अन्वेषण का निर्देश दिए बिना संज्ञान लेने की शक्ति धारा 202 में अंतर्निहित है जब यह कहती है कि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट "यदि वह ठीक समझे, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने को मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है..."। अतः, यह मामला न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया है कि क्या धारा 200 द्वारा परिकल्पित रूप में परिवादी और गवाहों का, यदि कोई हों, परीक्षण करने पर आदेशिका जारी की जाए या आदेशिका जारी करने को मुल्तवी किया जाए। न्यायालय को प्राप्त इस विवेकाधिकार को न्यायालय के लिए या तो जांच आयोजित करने या अन्वेषण का निर्देश देने को आज्ञापक बनाकर परिसीमित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा दृष्टिकोण सांविधिक उपबंध के विपरीत होगा। अतः, इस तर्क में कोई गुण नहीं है कि किसी प्राइवेट परिवाद को ग्रहण करने से, त्वरित विचारण का उद्देश्य विफल हो जाएगा या किसी आदेशिका-पूर्व रक्षोपाय से वंचित कर दिया जाएगा।"

7. वस्तुतः, बी.एन.एस.एस. की धारा 223(1) के परंतुक द्वारा प्रक्रिया में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाया गया है। प्रासंगिक रूप से, धारा 223(1) के परंतुक द्वारा संज्ञान लेने से पूर्व अभियुक्त को सुने जाने का अवसर प्रदान करना आज्ञापक बनाए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाने के बावजूद, धारा 226 परिवाद को खारिज करने के लिए एक सुसंगत कारक के रूप में संज्ञान लेने के प्रक्रम पर अभियुक्त की आपति को परिगणित नहीं करती है। संहिता की धारा 200 और 202 पर पूर्व-निर्णयों और बी.एन.एस.एस. की धारा 223(1) के परंतुक की स्पष्ट भाषा द्वारा निर्देशित होते हुए, इस न्यायालय की यह राय है कि, परिवाद प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट को सर्वप्रथम परिवादी और गवाहों का शपथ पर परीक्षण करना चाहिए और तत्पश्चात्, यदि मजिस्ट्रेट अपराध/अपराधों का संज्ञान लेने की कार्यवाही करता है, तो अभियुक्त को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। मैं भी बासनगौड़ा के मामले (उपरोक्त) में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित निम्नलिखित प्रक्रियात्मक कवायद से पूर्णतः सहमत हूँ;

"9. इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, उसमें प्रयुक्त भाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी अपराध का संज्ञान लेते समय मजिस्ट्रेट के पास परिवादी का शपथ पर दिया गया बयान होना चाहिए और यदि कोई गवाह उपस्थित हैं, तो उनके बयान होने चाहिए। बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के अधीन संज्ञान लेना शपथपूर्वक दिए गए बयान को अभिलिखित करने के पश्चात् आएगा, उस समय अभियुक्त को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक नोटिस भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि परंतुक सुने जाने का अवसर प्रदान करने को आज्ञापक बनाता है।

10. अतः, प्रक्रियात्मक कवायद इस प्रकार होगी: बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया जाता है; परिवाद प्रस्तुत किए जाने पर, यह मजिस्ट्रेट / संबंधित न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह परिवादी का शपथ पर परीक्षण करे, जो उसका शपथपूर्वक दिया गया बयान होगा और यदि कोई गवाह उपस्थित हैं तो उनका परीक्षण करे, और ऐसे परीक्षण के सार को लेखबद्ध किया जाना चाहिए। इस समय संज्ञान लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को, परंतुक के निबंधनों के अनुसार, अभियुक्त को एक नोटिस जारी करना होता है जिसे सुने जाने का अवसर दिया जाता है। अतः, उस प्रक्रम पर अभियुक्त को नोटिस जारी किया जाएगा और अभियुक्त को सुनने के पश्चात्, संज्ञान लिया जाएगा और उसके पश्चात् उसकी प्रक्रिया को विनियमित किया जाएगा।"

8.3. प्रतीक अग्रवाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समान दृष्टिकोण अपनाया गया है।

9. यह भी कथन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 14.10.2024 बी.एन.एस.एस. की धारा 225 के भी उल्लंघन में है, जो दं.प्र.सं. (अब निरसित) की धारा 202 के सदृश है। चूंकि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक जिला-लखनऊ के निवासी हैं और परिवाद जिला-सुल्तानपुर में प्रस्तुत किया गया था, और अतः, बी.एन.एस.एस. की धारा 225 के दृष्टिगत, अपनी शक्ति/अधिकारिता का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट को यह विनिश्चय करने के लिए आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना चाहिए था कि क्या कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। संदर्भित उपबंध नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

दं.प्र.सं., 1973 की धारा 202	बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 225
आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना— (1) कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध के परिवाद की प्राप्ति पर, जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसे सौंपा गया है, यदि वह ठीक	आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना।— (1) कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध के परिवाद की प्राप्ति पर, जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 212 के अधीन उसे सौंपा गया है, यदि वह ठीक

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझता है, [और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, मुलतवी करेगा], अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने को मुलतवी कर सकता है, और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा,-- (क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि	समझता है तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने को मुलतवी कर सकता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, आदेशिका जारी करने को मुलतवी करेगा, और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है: परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा,--
--	---

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या (ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी और उपस्थित गवाहों का (यदि कोई हों) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षण न कर लिया गया हो। (2) उपधारा (1) के अधीन जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, गवाहों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है: परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी को अपने सभी गवाह प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और शपथ पर उनका परीक्षण	(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या (ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी और उपस्थित गवाहों का (यदि कोई हों) धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षण न कर लिया गया हो। (2) उपधारा (1) के अधीन जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, गवाहों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है: परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी को अपने सभी गवाह प्रस्तुत करने के लिए कहेगा
--	--

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा।	और शपथ पर उनका परीक्षण करेगा।
(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसे उस अन्वेषण के लिए इस संहिता द्वारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, सिवाय वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के।	(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसे उस अन्वेषण के लिए इस संहिता द्वारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, सिवाय वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के।

10. यह भी कथन किया गया है कि परिवादी और गवाहों के, यदि कोई हों, बयान अभिलिखित करने के पश्चात्, मामले में संज्ञान लेने से पूर्व मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा। इसका कारण यह है कि यदि बयानों पर विचार करने और कराई गई जांच, यदि कोई हो, के उपरांत न्यायालय यह पाता है कि कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, तो वह बी.एन.एस.एस. की धारा 226 के अधीन परिवाद को खारिज कर सकता है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:-

"226. परिवाद का खारिज किया जाना- यदि, परिवादी और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों (यदि कोई हों) और धारा 225 के अधीन जांच या अन्वेषण (यदि कोई हो) के परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह परिवाद को खारिज कर देगा, और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।
अध्याय XVIII मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाहियों का प्रारंभ।"

11. राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने यद्यपि प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे विधिक स्थिति का खंडन नहीं कर सके। उन्होंने आगे यह निवेदित किया कि आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किया जा सकता है और मामले को प्रतिप्रेषित (वापस भेजा) किया जा सकता है, ताकि विद्वान मजिस्ट्रेट विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही कर सकें और इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी संख्या 2 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार किया गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. वर्तमान मामला बी.एन.एस.एस. की धारा 223(1) से संबंधित है। यह उपबंध यह प्रावधान करता है कि अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान लेते समय परिवादी और उपस्थित गवाहों का, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षण करेगा, और ऐसे परीक्षण के सार को लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर परिवादी और गवाहों के, तथा मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे। इस धारा से संलग्न प्रथम परंतुक यह उपबंधित करता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुने जाने का अवसर दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इस धारा से संलग्न द्वितीय परंतुक कतिपय ऐसी आकस्मिकताएं (परिस्थितियां) उपबंधित करता है जिनके अधीन, मजिस्ट्रेट को परिवादी और गवाहों का परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है।

14. पूर्वोक्त पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 210 के अधीन परिवाद प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, विद्वान मजिस्ट्रेट को सर्वप्रथम परिवादी और गवाहों का, यदि कोई हों, शपथ पर परीक्षण करना होगा, और ऐसे परीक्षण के सार को लेखबद्ध किया जाना है, जिस पर बी.एन.एस.एस. की धारा 223(1) के अनुसार परिवादी और गवाहों के तथा मजिस्ट्रेट के भी हस्ताक्षर होंगे और तत्पश्चात्, उस पर विचार करने के उपरांत, यदि वह पाता है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह बी.एन.एस.एस. की धारा 226 के अधीन परिवाद को खारिज कर देगा और यदि वह पाता है कि इसे इस रूप में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



खारिज नहीं किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त को अवसर प्रदान करेगा जिसके लिए उस प्रक्रम पर सुने जाने का नोटिस जारी किया जाएगा और मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही संज्ञान लेगा, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा और उसके पश्चात् अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगा। इसका कारण यह है कि अभियुक्त को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। सुनवाई का यह अवसर मात्र एक औपचारिकता नहीं होगा।

15. दं.प्र.सं. (अब निरसित) की धारा 202 के सदृश, बी.एन.एस.एस. की धारा 225 से संबंधित विषय पर कुछ ऐसे न्यायनिर्णयों का संदर्भ लेना उपयोगी/उचित होगा जिनमें बी.एन.एस.एस. की धारा 225 के सदृश, दं.प्र.सं. (अब निरसित) की धारा 202 पर विचार किया गया था और उसे स्पष्ट किया गया था:-

15.1 सुनील टोडी बनाम गुजरात राज्य, (2022) 16 एस.सी.सी. 762 : 2021 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 1174 के सुसंगत प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

35. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत किया गया दूसरा निवेदन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 पर आधारित है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"202. आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना।-(1) कोई भी मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे अपराध के परिवाद की प्राप्ति पर, जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो धारा 192 के अधीन उसे सौंपा गया है, यदि वह ठीक समझता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने को मुलतवी कर सकता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, आदेशिका जारी करने को मुलतवी करेगा, और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश दे सकता है:

परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा,—

(क) जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है; या

(ख) जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, जब तक कि परिवादी और उपस्थित गवाहों का (यदि कोई हों) धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षण न कर लिया गया हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) उपधारा (1) के अधीन जांच में, मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, गवाहों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है:

परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वह परिवादी को अपने सभी गवाह प्रस्तुत करने के लिए कहेगा और शपथ पर उनका परीक्षण करेगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उसे उस अन्वेषण के लिए इस संहिता द्वारा किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, सिवाय वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के।"

36. धारा 202 की उपधारा (1) के अधीन, कोई मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध के परिवाद की प्राप्ति पर जिसका संज्ञान लेने के लिए वह प्राधिकृत है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने और या तो: (i) मामले की जांच करने; या (ii) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देने के लिए सशक्त है। जांच या अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने का प्रयोजन यह अवधारित करना है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथापि, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे मामले में ऐसा करना आज्ञापक है जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है।

37. वर्तमान मामले में अभियुक्त व्यक्ति औरंगाबाद में निवास करते हैं जबकि धारा 138 के अधीन परिवाद मुद्रा में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थियों का तर्क यह है कि इन परिस्थितियों में, मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने और या तो स्वयं मामले की जांच करने या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण का निर्देश देने के लिए कर्तव्यबद्ध था। धारा 203 यह उपबंधित करती है कि यदि परिवादी और गवाहों के शपथ पर दिए गए बयानों, यदि कोई हों, और धारा 202 के अधीन जांच या अन्वेषण, यदि कोई हो, के परिणाम पर विचार करने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करते हुए परिवाद को खारिज कर देगा। कारणों को अभिलिखित करने की अपेक्षा, जिसे धारा 203 में विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट किया गया है, धारा 202 में विद्यमान नहीं है। आदेशिका जारी करने से संबंधित धारा 204 यह उपबंधित करती है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट की राय में, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह जारी कर सकता है: (क) समन मामले में, अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन; (ख) वारंट मामले में, एक वारंट या यदि वह ठीक समझे तो अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन। इन कार्यवाहियों की व्याख्या इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में की गई है। वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए, उनमें से कुछ अपीलार्थियों और दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा किए गए निवेदनों की विषय-वस्तु बनते हैं।

38. धारा 202 के वे उपबंध जो मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे मामले में, जहां अभियुक्त उसकी अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है, आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना आज्ञापक बनाते हैं ताकि वह स्वयं मामले की जांच कर सके या किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण का निर्देश दे सके, 2005 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा 23-6-2006 से प्रभाव से पुरःस्थापित किए गए थे। संशोधन का औचित्य संसद की इस मान्यता पर आधारित है कि प्रपीडन के एक साधन के रूप में दूर-दराज के स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध झूठे परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। विजय धानुका बनाम नजीमा मुमताज [विजय धानुका बनाम नजीमा मुमताज, (2014) 14 एस.सी.सी.

638 : (2015) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 479] में, इस न्यायालय ने धारा 202 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संशोधन के प्रयोजन पर विस्तार से चर्चा की, और यह संप्रेक्षित किया : (एस.सी.सी. पृष्ठ 644, प्रस्तर 11-12)।

"11. संहिता की धारा 202, अन्य बातों के साथ-साथ, 'ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है', आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने और तत्पश्चात् या तो स्वयं मामले की जांच करने या किसी पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देने की परिकल्पना करती है। इसके दृष्टिगत, हमें यह अवधारित करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें मजिस्ट्रेट अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, जांच आज्ञापक है या नहीं।

12. शब्द 'और करेगा, ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है' दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (2005 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा 19 द्वारा 23-6-2006 से प्रभाव से अंतःस्थापित किए गए थे। विधानमंडल की राय में, पूर्वोक्त संशोधन आवश्यक था क्योंकि दूर-दराज के स्थानों पर निवास करने वाले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्तियों के विरुद्ध उन्हें प्रपीडित करने के लिए झूठे परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। संशोधन के लिए टिप्पणी इस प्रकार है:

'दूर-दराज के स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध केवल उन्हें प्रपीडित करने के लिए झूठे परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनैतिक व्यक्तियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को प्रपीडित न किया जाए, यह खंड धारा 202 की उपधारा (1) को संशोधित करने का आशय रखता है ताकि मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी बनाया जा सके कि अपनी अधिकारिता के बाहर निवास करने वाले अभियुक्त को आहूत करने से पूर्व, वह स्वयं मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं।'

"करेगा" अभिव्यक्ति का उपयोग प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट द्वारा जांच या अन्वेषण को, यथास्थिति, आज्ञापक बनाता है। "करेगा" शब्द सामान्यतः आज्ञापक होता है परंतु कभी-कभी, संदर्भ या आशय को ध्यान में रखते हुए, इसे निदेशात्मक अभिनिर्धारित किया जा सकता है। सभी परिस्थितियों में "करेगा" शब्द का उपयोग निर्णायक नहीं होता है। पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधानमंडल के आशय को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका लक्ष्य निर्दोष व्यक्तियों को अनैतिक व्यक्तियों द्वारा झूठे परिवादों के माध्यम से किए जाने वाले प्रपीडन से बचाना है। अतः, हमारी राय में, "करेगा" अभिव्यक्ति के उपयोग और उस पृष्ठभूमि तथा प्रयोजन के दृष्टिगत जिसके लिए संशोधन लाया गया है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि मजिस्ट्रेट की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर रहने वाले अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी करने से पूर्व, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण आज्ञापक है।”

39. इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह अवधारित करते समय कि क्या कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है, परिवाद में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच में अभिलिखित किए गए बयानों पर अपना मस्तिष्क लगाना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। **महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा** [महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा, (2015) 12 एस.सी.सी. 420 : (2016) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 124] में, इस न्यायालय ने पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, (1998) 5 एस.सी.सी. 749 : 1998 एस.सी.सी. (क्रि.) 1400] के आदेश (डिक्टम) का अनुसरण किया, और संप्रेक्षित किया कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दांडिक विधि को गतिमान करना एक गंभीर मामला है। अतः, मजिस्ट्रेट द्वारा यह अवधारित करने के लिए कि क्या परिवाद में लगाए गए आरोप, अभिलिखित किए गए बयानों या आयोजित की गई जांच के साथ मिलकर विधि का उल्लंघन गठित करते हैं, अपना मस्तिष्क लगाया जाना चाहिए। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया : (महमूद उल रहमान का मामला [महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा, (2015) 12 एस.सी.सी. 420 : (2016) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 124], एस.सी.सी. पृष्ठ 429-30, प्रस्तर 20 और 22)

"20. वाद विधि का व्यापक संदर्भ स्पष्ट रूप से दर्शित करेगा कि परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान अभियुक्त को आदेशिका जारी करने के प्रयोजन से लिया जाता है। चूंकि यह कतिपय ऐसे तथ्यों का न्यायिक नोटिस लेने की एक प्रक्रिया है जो एक अपराध गठित करते हैं, अतः इस पर मस्तिष्क लगाया जाना चाहिए कि क्या परिवाद में लगाए गए आरोप, जब अभिलिखित बयानों या उस पर आयोजित जांच के साथ विचार किए जाते हैं, विधि का उल्लंघन गठित करेंगे ताकि किसी व्यक्ति को दांडिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सके। यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया या सामान्य बात नहीं है। जैसा कि पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1998) 5 एस.सी.सी. 749 : 1998 एस.सी.सी. (क्रि.) 1400] में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक विधि की प्रक्रिया को गतिमान करना एक गंभीर मामला है।

22. दं.प्र.सं. की धारा 190(1)(क) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए गए कदम, जिसके पश्चात् दं.प्र.सं. की धारा 204 है, यह प्रतिबिंबित करना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों और बयानों पर अपना मस्तिष्क लगाया है और वह संतुष्ट है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध विधि के उल्लंघन का आरोप है, उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहकर मामले में आगे कार्यवाही करने के लिए आधार है। कार्यवाही करने के आधार पर संतुष्टि का अर्थ यह होगा कि परिवाद में अभिकथित तथ्य एक अपराध गठित करेंगे, और जब अभिलिखित बयानों के साथ विचार किया जाता है, तो प्रथम दृष्टया अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी बना देंगे। निस्संदेह, उस प्रक्रम पर कोई औपचारिक आदेश या सकारण आदेश (स्पीकिंग आर्डर) पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार दं.प्र.सं. की धारा 203 के अधीन परिवाद खारिज किए जाने पर एक सकारण आदेश पारित किया जाना आवश्यक है और उसमें भी कारणों को केवल संक्षेप में कथन किया जाना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवाद का संज्ञान लेने और एक सामान्य बात के रूप में आदेशिका जारी करने में डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में यह पर्याप्त संकेत होना चाहिए कि वह संतुष्ट है कि परिवाद में लगाए गए आरोप एक अपराध गठित करते हैं और जब अभिलिखित बयानों और दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन जांच के परिणाम या अन्वेषण की रिपोर्ट, यदि कोई हो, के साथ विचार किया जाता है, तो अभियुक्त दांडिक न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी है, उपस्थिति के लिए आदेशिका जारी करके दं.प्र.सं. की धारा 204 के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का आधार है। मस्तिष्क का लगाया जाना संतुष्टि पर मस्तिष्क के प्रकटीकरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित होता है। यदि ऐसे मामले में ऐसा कोई संकेत नहीं है जहां मजिस्ट्रेट दं.प्र.सं. की धारा 190/204 के अधीन कार्यवाही करता है, तो उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 482 के अधीन दांडिक न्यायालय की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए आबद्ध है। एक अभियुक्त के रूप में दांडिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया जाना एक गंभीर मामला है जो किसी व्यक्ति की गरिमा, आत्म-सम्मान और समाज में छवि को प्रभावित करता है। अतः, दांडिक न्यायालय की प्रक्रिया को प्रपीडन का हथियार नहीं बनाया जाएगा।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर [अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर, (2017) 3 एस.सी.सी. 528 : (2017) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 192] में इन निर्णयों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था। धारा 202 के संशोधन के अंतर्निहित प्रयोजन का संदर्भ देने के पश्चात्, न्यायालय ने संप्रेक्षित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 541, प्रस्तर 25)

“25. ... संशोधित उपबंध मजिस्ट्रेट पर अपना मस्तिष्क सावधानीपूर्वक लगाने और स्वयं को संतुष्ट करने की बाध्यता अधिरोपित करता है कि परिवाद में लगाए गए आरोप, जब अभिलिखित बयानों या उस पर आयोजित जांच के साथ विचार किए जाते हैं, प्रथम दृष्टया वह अपराध गठित करेंगे जिसके लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया है। महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा [महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा, (2015) 12 एस.सी.सी. 420 : (2016) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 124] में हाल ही के एक निर्णय में इस न्यायालय द्वारा इस आवश्यकता पर बल दिया गया है ...।”

40. यह संप्रेक्षित करते हुए कि आदेशिका जारी करने से पूर्व जांच आयोजित करने या अन्वेषण का निर्देश देने की आवश्यकता कोई रिक्त औपचारिकता नहीं है, न्यायालय ने **विजय धानुका [विजय धानुका बनाम नजीमा मुमताज, (2014) 14**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.सी.सी. 638 : (2015) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 479] के निर्णय पर अवलंब लिया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया कार्य संहिता की धारा 202 के अधीन परिकल्पित जांच के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

41. बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंटज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड [बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंटज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, (2019) 16 एस.सी.सी. 610 : (2020) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 713 : (2020) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 828] में, निर्णय के अनुक्रम में उन पूर्वतर निर्णयों को उद्धृत किया गया था जिनका ऊपर संदर्भ दिया गया है। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 628, प्रस्तर 26)।

“26. इस धारा के अधीन जांच का दायरा केवल परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता या अन्यथा का पता लगाने तक अत्यंत सीमित है ताकि यह अवधारित किया जा सके कि दं.प्र.सं. की धारा 204 के अधीन आदेशिका जारी की जानी चाहिए या नहीं या क्या दं.प्र.सं. की धारा 203 का आश्रय लेकर परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए कि परिवादी और उसके गवाहों, यदि कोई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हों, के बयानों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन जांच के प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट का सरोकार केवल
परिवाद में लगाए गए आरोपों या परिवाद में किए गए प्रकथनों के समर्थन में साक्ष्य
से होता है ताकि वह स्वयं को संतुष्ट कर सके कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही
करने के लिए पर्याप्त आधार है।”

42. अतः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: (बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड का
मामला [बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंटज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स
लिमिटेड, (2019) 16 एस.सी.सी. 610 : (2020) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 713 :
(2020) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 828] , एस.सी.सी. पृष्ठ 631, प्रस्तर 33)

“33. अभियुक्त को आहूत करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश से यह प्रतिबिंबित होना
चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू विधि पर अपना मस्तिष्क
लगाया है। मस्तिष्क लगाए जाने को संतुष्टि पर मस्तिष्क के प्रकटीकरण द्वारा
इंगित किया जाना चाहिए। एक परिवाद मामले में अभियुक्त को समन जारी करने
के लिए मजिस्ट्रेट की ओर से कर्तव्यों पर विचार करते हुए और यह कि मस्तिष्क
लगाए जाने के संबंध में पर्याप्त संकेत होना चाहिए तथा यह संप्रेक्षित करते हुए कि
मजिस्ट्रेट को परिवाद का संज्ञान लेने में डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया
जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



महमूद उल रहमान [महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा, (2015) 12 एस.सी.सी. 420 : (2016) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 124] में ...।”

43. उपर्युक्त सिद्धांतों को कृष्ण लाल चावला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [कृष्ण लाल चावला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 5 एस.सी.सी. 435 : (2021) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 601] के निर्णय में दोहराया गया है।

44. इस पृष्ठभूमि में, अब परक्राम्य लिखत (एन.आई.) अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन मामलों के त्वरित विचारण में एक संविधान न्यायपीठ के दिनांक 16-4-2021 के आदेश का संदर्भ लेना आवश्यक हो जाता है, इन रे [परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन मामलों का त्वरित विचारण, इन रे, (2021) 16 एस.सी.सी. 116]। संविधान न्यायपीठ “धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों की विशाल लंबितता” और इस तथ्य को संप्रेक्षित करती है कि “स्थिति में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि न्यायालय विशाल लंबितता से संघर्ष करना जारी रखे हुए हैं”। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि सात प्रमुख मुद्दे थे जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों से उत्पन्न हुए थे, जिनमें दं.प्र.सं. की धारा 202 की प्रयोज्यता के संबंध में भी शामिल था। एन.आई. अधिनियम की धारा 143 यह उपबंधित करती है कि दं.प्र.सं. की धारा 262 से 265 (जो संक्षिप्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण से संबंधित अध्याय XXI का भाग हैं) एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए सभी विचारणों पर लागू होंगी। एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामलों में दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन जांच के दायरे पर, उच्च न्यायालयों के बीच दृष्टिकोणों में भिन्नता थी। कुछ उच्च न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों में आदेशिका जारी करने से पूर्व मजिस्ट्रेट के लिए दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन जांच आयोजित करना आज्ञापक था, जबकि अन्य उच्च न्यायालयों में इसके विपरीत दृष्टिकोण थे। उस संदर्भ में, न्यायालय ने संप्रेक्षित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 125, प्रस्तर 10-11)

“10. संहिता की धारा 202 मजिस्ट्रेट को यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से जांच आयोजित करने की अधिकारिता प्रदत्त करती है कि आदेशिका जारी करने को न्यायोचित ठहराने वाले पर्याप्त आधार बनते हैं या नहीं। अधिनियम 25 वर्ष 2005 के माध्यम से 23-6-2006 से प्रभाव से संहिता की धारा 202 में किए गए संशोधन ने ऐसे मामले में जहां अभियुक्त न्यायालय की अधिकारिता के क्षेत्र से बाहर निवास करता है, मजिस्ट्रेट के लिए आदेशिका जारी करने से पूर्व जांच आयोजित करना आज्ञापक बना दिया। (देखें: विजय धानुका बनाम नजीमा मुमताज [विजय धानुका

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम नजीमा मुमताज, (2014) 14 एस.सी.सी. 638 : (2015) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 479], अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर [अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर, (2017) 3 एस.सी.सी. 528 : (2017) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 192] और बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंटज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड [बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंटज इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, (2019) 16 एस.सी.सी. 610 : (2020) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 713 : (2020) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 828]। अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों के संबंध में धारा 202 की प्रयोज्यता से संबंधित उच्च न्यायालयों के बीच राय में भिन्नता रही है। धारा 138 के अधीन कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों द्वारा इस दृष्टिकोण को कायम रखते हुए विनिश्चय किया गया है कि धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों में आदेशिका जारी करने से पूर्व, संहिता की धारा 202 में उपबंधित रूप से, मजिस्ट्रेट के लिए जांच आयोजित करना आज्ञापक है। कुछ अन्य मामलों में विपरीत दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि अभियुक्त न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास कर रहा है, मजिस्ट्रेट के लिए प्रत्येक मामले में आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 202 के अधीन जांच आयोजित न करने से आदेशिका जारी करना दूषित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं होगा, यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अपेक्षित संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है।

“11. विद्वान न्यायमित्र (एमिसी क्यूरी) ने के.एस. जोसेफ बनाम फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड [के.एस. जोसेफ बनाम फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, (2016) 11 एस.सी.सी. 105 : (2016) 4 एस.सी.सी. (सिविल) 616 : (2017) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 270] में इस न्यायालय के एक निर्णय का संदर्भ दिया, जहाँ धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों के संबंध में संहिता की धारा 202 के अधीन जांच की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई थी, परंतु विधि का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया था। विजय धानुका [विजय धानुका बनाम नजीमा मुमताज, (2014) 14 एस.सी.सी. 638 : (2015) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 479], अभिजीत पवार [अभिजीत पवार बनाम हेमंत मधुकर निंबालकर, (2017) 3 एस.सी.सी. 528 : (2017) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 192] और बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड [बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एडवेंट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, (2019) 16 एस.सी.सी. 610 : (2020) 2 एस.सी.सी. (सिविल) 713 : (2020) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 828] में इस न्यायालय के निर्णयों के दृष्टिगत, न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करने वाले अभियुक्त को समन जारी करने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित की जाने वाली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जांच से अभिमुक्ति नहीं दी जा सकती है। विद्वान न्यायमित्र ने यह सिफारिश की कि मजिस्ट्रेट को एक जांच आयोजित करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हम विद्वान न्यायमित्र से सहमत हैं।”

45. एन.आई. (परक्राम्य लिखत) अधिनियम की धारा 145 यह उपबंधित करती है कि परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ-पत्र पर दिया जा सकता है, जिसे दं.प्र.सं. में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। संविधान न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 145 को अधिनियम में 2003 से प्रभाव से धारा 138 के अधीन प्रस्तुत परिवादों में विचारण को गति प्रदान करने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ अंतःस्थापित किया गया है। अतः, न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि यदि परिवादी का साक्ष्य उसके द्वारा शपथ-पत्र पर दिया जा सकता है, तो गवाहों का साक्ष्य शपथ पर लिए जाने का आग्रह करने का कोई कारण नहीं है। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया गया कि दं.प्र.सं. की धारा 202(2) शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में धारा 138 के अधीन परिवादों पर अप्रयोज्य है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि परिवादी की ओर से गवाहों का साक्ष्य शपथ-पत्र पर अनुज्ञात किया जाएगा। यदि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट स्वयं जांच आयोजित करता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि उसे गवाहों का परीक्षण करना चाहिए और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट होने के लिए दस्तावेजों का परीक्षण कर सकता है कि धारा 202 के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

46. वर्तमान मामले में, मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित पर ध्यान आकृष्ट किया है:

(i) परिवाद;

(ii) परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र;

(iii) साक्ष्य सूची के अनुसार साक्ष्य और;

(iv) परिवादी के निवेदन।

47. मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को मस्तिष्क के अनुप्रयोग के अभाव को प्रकट करने के रूप में अविधिमान्य अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है। **मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक बनाम रोशनलाल अग्रवाल [मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक बनाम रोशनलाल अग्रवाल, (2003) 4 एस.सी.सी. 139 : 2003 एस.सी.सी. (क्रि.)**

788] में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह अवधारित करने के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रश्न में कि क्या आदेशिका जारी की जानी है, मजिस्ट्रेट को यह संतुष्ट होना है कि क्या कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, न कि क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार है। दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त है या नहीं, यह केवल विचारण के प्रक्रम पर ही अवधारित किया जा सकता है। [इस संदर्भ में भूषण कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) [भूषण कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 5 एस.सी.सी. 424 : (2012) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 872] का निर्णय भी देखें]।

48. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध परिवाद को अभिखंडित नहीं किया क्योंकि यह प्रथम दृष्टया स्थापित हो गया था कि वे चेक के अनादरण के लिए विचारणीय थे। एन.आई. अधिनियम की धारा 141 यह उपबंधित करती है:

“141. कंपनियों द्वारा अपराध।—(1) यदि धारा 138 के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, उस अपराध के दोषी माने जाएंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी:

परंतु यह और कि जहाँ किसी व्यक्ति को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार में या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी वित्तीय निगम में कोई पद या नियोजन धारण करने के आधार पर किसी कंपनी के निदेशक के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है, तो वह इस अध्याय के अधीन अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता (कनाइवंस) से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,— (क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और (ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।”

49. एन.आई. अधिनियम की धारा 141 यह अनुबद्ध करती है कि यदि किसी कंपनी पर धारा 138 के अधीन अपराध करने का अभिकथन है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो “कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक था, और उसके प्रति उत्तरदायी था” उसे भी अपराध का दोषी माना जाएगा। परंतु एक अपवाद प्रदान करता है यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने सम्यक तत्परता बरती थी। **सुनील भारती मित्तल बनाम सी.बी.आई. [सुनील भारती मित्तल बनाम सी.बी.आई., (2015) 4 एस.सी.सी. 609 : (2015) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 687]** में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह संप्रेक्षित किया कि सामान्य नियम यह है कि कारबार करने वाले लोगों के एक समूह के आपराधिक आशय को कंपनी पर आरोपित किया जा सकता है, परंतु इसके विपरीत नहीं। इस सामान्य नियम के केवल दो अपवाद उपबंधित किए गए थे : (i) जब व्यष्टि ने अपराध किए जाने को बनाए रखा हो

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उस व्यष्टि की सक्रिय भूमिका पर पर्याप्त साक्ष्य हो; और (ii) संविधि स्पष्ट रूप से प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को समाविष्ट करती हो। तीन-न्यायाधीशों की न्यायपीठ के लिए लिखते हुए न्यायमूर्ति सीकरी ने संप्रेक्षित किया : (एस.सी.सी. पृष्ठ 638, प्रस्तर 43-44)

"43. इस प्रकार, कोई व्यष्टि जिसने किसी कंपनी की ओर से अपराध किए जाने को बनाए रखा हो, उसे कंपनी के साथ-साथ अभियुक्त बनाया जा सकता है, यदि आपराधिक आशय के साथ उसकी सक्रिय भूमिका का पर्याप्त साक्ष्य हो। दूसरी स्थिति जिसमें उसे आलिप्त (फंसाया) जा सकता है, वे मामले हैं जहाँ सांविधिक व्यवस्था स्वयं ऐसे उपबंध को विनिर्दिष्ट रूप से समाविष्ट करके प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत को आकृष्ट करती है।

44. जब कंपनी अपराधी होती है, तो इस प्रभाव के किसी सांविधिक उपबंध के अभाव में निदेशकों पर प्रतिनिधिक दायित्व स्वतः ही आरोपित नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 है। अनीता हाडा [अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, (2012) 5 एस.सी.सी. 661 : (2012) 3 एस.सी.सी. (सिविल) 350 : (2012) 3 एस.सी.सी. (क्रि.) 241] में, न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि यदि कंपनी के कारबार

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों के समूह का आपराधिक आशय है, तो वह निगमित निकाय पर आरोपित किया जाएगा और इसी पृष्ठभूमि में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 को समझा जाना चाहिए। अतः, ऐसी स्थिति सांविधिक आशय के कारण है जो इसे एक अवधारण-कल्पना (डीमिंग फिक्शन) बनाती है। यहाँ भी, “परिवर्तित अहम्” (आल्टर ईगो) का सिद्धांत केवल एक दिशा में लागू किया गया था, अर्थात्, जहाँ कारबार का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों के समूह का आपराधिक आशय था, उसे निगमित निकाय पर आरोपित किया जाना है न कि इसके विपरीत। अन्यथा, निदेशक या कथित रूप से कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन वाले किसी अन्य व्यक्ति पर कोई विनिर्दिष्ट कार्य आरोपित किया जाना चाहिए, इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी था।”

50. एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला [एस.एम.एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला, (2005) 8 एस.सी.सी. 89 : 2005 एस.सी.सी. (क्रि.) 1975] में, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के उपबंधों का अर्थान्वयन करते हुए एक तीन-न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने यह संप्रेक्षित किया है कि किसी कंपनी के प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक की स्थिति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुभिन्न होती है क्योंकि उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति कारबार के संचालन के भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह संप्रेक्षित किया गया कि यद्यपि यह एक सामान्य उपधारणा है कि प्रबंध निदेशक और संयुक्त प्रबंध निदेशक कंपनी के आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, तथापि निदेशक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा यदि वह अपराध किए जाने के समय कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी नहीं था। न्यायालय ने संप्रेक्षित किया : (एस.सी.सी. पृष्ठ 98-99, प्रस्तर 9-10)

"9. किसी कंपनी में प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक की स्थिति भिन्न हो सकती है। ये व्यक्ति, जैसा कि उनके पद के पदनाम से पता चलता है, एक कंपनी के भारसाधक होते हैं और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। दायित्व से बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को अपना मामला धारा 141(1) के परंतुक के अंतर्गत लाना पड़ सकता है, अर्थात्, उन्हें यह साबित करना होगा कि जब अपराध किया गया था तो उन्हें अपराध की जानकारी नहीं थी या कि उन्होंने अपराध किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

10 ... कंपनी से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति उपबंध की परिधि में नहीं आएगा। केवल वे व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी थे, आपराधिक कार्यवाही के लिए दायी होंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि किसी कंपनी का निदेशक जो सुसंगत समय पर कंपनी के कारबार के संचालन के लिए भारसाधक नहीं था और उसके प्रति उत्तरदायी नहीं था, तो वह उपबंध के अधीन दायी नहीं होगा। यह दायित्व अपराध किए जाने के सुसंगत समय पर कंपनी के कारबार के संचालन के लिए भारसाधक होने और उसके प्रति उत्तरदायी होने से उत्पन्न होता है, न कि केवल कंपनी में किसी पदनाम या पद को धारण करने के आधार पर। इसके विपरीत, कंपनी में कोई पद या पदनाम धारण न करने वाला व्यक्ति भी दायी हो सकता है यदि वह सुसंगत समय पर कंपनी के कारबार के संचालन के लिए भारसाधक होने और उसके प्रति उत्तरदायी होने की मुख्य अपेक्षा को पूरा करता है।”

(बल दिया गया)

51. इसी सिद्धांत का अनुसरण **मैनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम विजय डी. साल्वी** [मैनुद्दीन अब्दुल सत्तार शेख बनाम विजय डी. साल्वी, (2015) 9 एस.सी.सी. 622 : (2015) 4 एस.सी.सी. (सिविल) 685 : (2015) 4 एस.सी.सी. (क्रि.) 55] में दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा किया गया है : (एस.सी.सी. पृष्ठ 627, प्रस्तर 12)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“12. प्रत्यर्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवाद में अपीलार्थी ने यह प्रकथन नहीं किया है कि अभियुक्त कंपनी के कामकाज के लिए भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी व्यक्ति था। तथापि, चूंकि प्रत्यर्थी मेसर्स साल्वी इंफ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मेसर्स साल्वी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एकमात्र स्वत्वधारी (प्रोप्राइटर) था, अतः इस बिंदु पर विनिर्दिष्ट प्रकथन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल [राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह पेंटल, (2010) 3 एस.सी.सी. 330 : (2010) 1 एस.सी.सी. (सिविल) 677 : (2010) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 1113] में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 346, प्रस्तर 39)

'39. ... (v) यदि अभियुक्त प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक है, तो परिवाद में विनिर्दिष्ट प्रकथन करना आवश्यक नहीं है और अपने पद के आधार पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।' ”

52. यह अवधारित करने का परीक्षण कि क्या कंपनी द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रबंध निदेशक या निदेशक को आरोपित किया जाना चाहिए, यह अवधारित करना है कि क्या एन.आई. (परक्राम्य लिखत) अधिनियम की धारा 141 की शर्तें

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूरी की गई हैं, अर्थात् क्या वह व्यक्ति अपराध किए जाने के दौरान कंपनी के कामकाज के लिए भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था। तथापि, यह अवधारण कि क्या एम.एम.डी.आर. अधिनियम की धारा 141 में अनुबद्ध शर्तें पूरी की गई हैं, विचारण का विषय है। परिवाद में उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला उठाने के लिए पर्याप्त प्रकथन हैं। वे केवल विचारण के प्रक्रम पर ही धारा 141 के परंतुक का आश्रय ले सकते हैं, न कि आदेशिका जारी करने के प्रक्रम पर।

53. वर्तमान मामले में, यह सुस्पष्ट है कि अपीलार्थियों की ओर से स्थापित की गई चुनौती के प्रमुख आधार विचारण में बचाव के विषय हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किए जाने के पश्चात्, उच्च न्यायालय के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करना खुला नहीं था। उच्च न्यायालय ने एक सावधानीपूर्वक विचार किए गए निर्णय में, अपीलार्थियों के निवेदनों का विश्लेषण किया है और न्यायोचित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उनमें सार का अभाव है।"

15.2 नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम बराकरा अब्दुल अजीज, (2013) 2 एस.सी.सी. 488 के

सुसंगत प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"9. परिवाद प्राप्त करने वाले मजिस्ट्रेट का कर्तव्य दं.प्र.सं. की धारा 202 में अधिकथित किया गया है और मजिस्ट्रेट पर यह पता लगाने की बाध्यता है कि क्या ऐसा कोई मामला है जो दांडिक न्यायालय द्वारा अन्वेषण की मांग करता है। इस धारा के अधीन जांच का दायरा केवल परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता या अन्यथा का पता लगाने तक ही सीमित है ताकि यह अवधारित किया जा सके कि आदेशिका जारी की जानी है या नहीं। दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन अन्वेषण धारा 156 में अनुध्यात अन्वेषण से भिन्न है क्योंकि यह केवल मजिस्ट्रेट को यह विनिश्चय करने के लिए समर्थ बनाने के लिए है कि उसके लिए आगे कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार है या नहीं। अतः, दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन जांच का दायरा परिवाद में लगाए गए आरोपों की सत्यता या असत्यता को अभिनिश्चित करने तक सीमित है:

- (i) परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पर;
- (ii) यह पता लगाने के सीमित प्रयोजन के लिए कि क्या आदेशिका जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है; और
- (iii) अभियुक्त के पास उपलब्ध किसी भी बचाव पर बिल्कुल ध्यान दिए बिना, पूर्णतः परिवादी के दृष्टिकोण से प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. दं.प्र.सं. की धारा 202 को दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित किया गया था और निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए गए थे:

"और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उस क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर निवास कर रहा है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, करेगा,"

उपर्युक्त संशोधन के लिए खंडों पर टिप्पणियां इस प्रकार पढ़ी जाती हैं:

"दूर-दराज के स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध केवल उन्हें प्रपीडित करने के लिए झूठे परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनैतिक व्यक्तियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को प्रपीडित न किया जाए, यह खंड धारा 202 की उपधारा (1) को संशोधित करने का आशय रखता है ताकि मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी बनाया जा सके कि अपनी अधिकारिता के बाहर निवास करने वाले अभियुक्त को आहूत करने से पूर्व वह स्वयं मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा, यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह संशोधन अधिसूचना संख्या एस.ओ. 923(ई) दिनांक 21-6-2006 के माध्यम से 23-6-2006 से प्रवृत्त हुआ है।

11. हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि सी.जे.एम. (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट), अहमदनगर द्वारा उपर्युक्त संशोधन पर ध्यान नहीं दिया गया था। सी.जे.एम. संशोधित दं.प्र.सं. की धारा 202 के अधीन अनुध्यात कोई जांच करने या अन्वेषण का आदेश देने में विफल रहा था। चूंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त सी.जे.एम., अहमदनगर की अधिकारिता के बाहर निवास कर रहा है, अतः हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।"

15.3. उदय शंकर अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2013) 2 एस.सी.सी. 435 : (2013) 1 एस.सी.सी. (सिविल) 1121 : (2013) 2 एस.सी.सी. (क्रि.) 708 के सुसंगत प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"37. यह सुस्पष्ट है कि उक्त परिवाद में, परिवादी द्वारा माध्यस्थम् कार्यवाहियों के संबंध में कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। यह दर्शाने के लिए तथ्यों का कोई प्रकटीकरण भी नहीं था कि समान विषय-वस्तु के संबंध में पूर्वतर परिवादों को उसी न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर खारिज कर दिया गया था।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"38. मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट (अवार्ड) की एक प्रति अभिलेख पर रखी गई थी, जिसमें विवादक (इश्यू) 13 जो वर्तमान विवाद से संबंधित था, अर्थात् कुछ सामग्री और दस्तावेज इफ्को (Iffco) के परिसर में रखे गए थे और उनकी वापसी से इनकार कर दिया गया था। उसी के संबंध में दावे को अस्वीकार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष पहले प्रस्तुत की गई दोनों रिट याचिकाओं में से किसी में भी या उस संबंध में, मध्यस्थ की नियुक्ति करने के प्रयोजन से उक्त प्रतिष्ठान द्वारा इफ्को के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में या 1996 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में ऐसे दावे और उक्त प्रतिष्ठान द्वारा इसकी अस्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

39. प्रत्यर्थी 2 द्वारा प्रस्तुत प्रति-शपथ पत्र में, यह निवेदित किया गया है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए संपूर्ण राशि हड़पने के लिए इफ्को द्वारा धोखाधड़ी से संविदा समाप्त कर दी गई थी और इफ्को ने अपने परिसर में पड़ी फर्म की सभी वस्तुओं और सामग्रियों का अवैध कब्जा ले लिया था, और चूंकि राशि का संदाय नहीं किया गया था, अतः अधिकारी आपराधिक न्यास भंग के दोषी थे और इसलिए, दंडित किए जाने के दायी थे। तथापि, यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि पूर्वतर परिवाद प्रत्यर्थी 2 के भाई सभा कांत पांडे द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी स्वीकार किया गया है कि माध्यस्थम् कार्यवाहियां अभी भी लंबित हैं, परंतु साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि दांडिक अभियोजन का माध्यस्थम् पंचाट (आर्बिट्रल अवार्ड) से कोई लेना-देना नहीं है।

40. मजिस्ट्रेट ने दं.प्र.सं. की धारा 202 की आज्ञापक आवश्यकता को पूरा किए बिना समन जारी किए थे, यद्यपि अपीलार्थी उसकी प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर थे। दं.प्र.सं. की धारा 202 के उपबंधों को संशोधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिससे ऐसे मामले में आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना आज्ञापक बना दिया गया जहाँ अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर के क्षेत्र में निवास करता है। अनैतिक व्यक्तियों द्वारा निर्दोष व्यक्तियों को प्रपीडित होने से बचाने और मजिस्ट्रेट के लिए यह बाध्यकारी बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक पाया गया कि ऐसे मामलों में समन जारी करने से पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं, यह पता लगाने के प्रयोजन से वह स्वयं मामले की जांच करेगा, या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देगा। (यह भी देखें: शिवजी सिंह बनाम नागेंद्र तिवारी [(2010) 7 एस.सी.सी. 578 : (2010) 3 एस.सी.सी. (क्रि.) 452 : ए.आई.आर.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2010 एस.सी. 2261], एस.सी.सी. पृष्ठ 584, प्रस्तर 11 और नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम बराकरा अब्दुल अजीज [(2013) 2 एस.सी.सी. 488 : जे.टी. (2012) 12 एस.सी. 432]]"

15.4 शिवजी सिंह बनाम नागेंद्र तिवारी, (2010) 7 एस.सी.सी. 578 : (2010) 3 एस.सी.सी. (क्रि.) 452 के सुसंगत प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"11. धारा 202(1) मजिस्ट्रेट को अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच करने या किसी पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने का निर्देश देने की शक्ति प्रदत्त करती है। 2005 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा, ऐसे मामले में आदेशिका जारी करने को मुलतवी करना आज्ञापक बना दिया गया है जहाँ अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर के क्षेत्र में निवास कर रहा है। धारा 202(1) का परंतुक यह अधिकथित करता है कि अन्वेषण के लिए निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जहाँ परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी और गवाहों का धारा 200 के अधीन शपथ पर परीक्षण न कर लिया गया हो।

धारा 202(2) के अधीन उपधारा (1) के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट शपथ पर गवाहों का साक्ष्य ले सकता है। यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है कि परिवादित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो धारा 202 के परंतुक के निबंधनों के अनुसार, उससे यह अपेक्षित है कि वह परिवादी को अपने सभी गवाह प्रस्तुत करने के लिए कहे और शपथ पर उनका परीक्षण करे।

धारा 203 मजिस्ट्रेट को परिवाद खारिज करने की शक्ति प्रदत्त करती है यदि, परिवादी और गवाहों द्वारा शपथ पर दिए गए बयानों और धारा 202(1) के अधीन की गई जांच या अन्वेषण, यदि कोई हो, के परिणाम पर विचार करने के पश्चात्, वह संतुष्ट हो जाता है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग इस शर्त से आबद्ध है कि मजिस्ट्रेट को परिवाद खारिज करने के संक्षिप्त कारण अभिलिखित करने चाहिए। धारा 204, जो आदेशिका जारी करने की बात करती है, यह अधिकथित करती है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट का यह मत है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है तो वह समन मामले में अभियुक्त की उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। यदि यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वारंट मामला है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वारंट जारी कर सकता है।

"14. धारा 207 मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट, धारा 154 के अधीन अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161(3) के अधीन अभिलिखित बयानों, धारा 164 के अधीन अभिलिखित संस्वीकृतियों और बयानों, यदि कोई हों, और किसी अन्य दस्तावेज या उसके सुसंगत उद्धरण की प्रतियां उपलब्ध कराए, जो पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को अग्रेषित की जाती हैं। धारा 208 सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में अभियुक्त को बयानों और दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का उपबंध करती है। यह अधिकथित करती है कि यदि पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित कोई मामला अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त को धारा 200 या धारा 202 के अधीन अभिलिखित बयानों, धारा 161 या धारा 164 के अधीन अभिलिखित बयानों और संस्वीकृतियों तथा किसी भी अन्य दस्तावेज की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जिस पर अभियोजन निर्भर करने का प्रस्ताव करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. धारा 209 उस स्थिति में किसी मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करने की बात करती है जब अपराध अनन्यतः उसके द्वारा विचारणीय हो। यह धारा मजिस्ट्रेट पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह धारा 208 के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय को सुपुर्द करे। एक बार मामले के सुपुर्द हो जाने पर, सेशन न्यायालय द्वारा अध्याय XVIII में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विचारण किया जाना है।

16. परिवादी और गवाहों का परीक्षण करने का उद्देश्य परिवाद की सत्यता या असत्यता को अभिनिश्चित करना और यह अवधारित करना है कि क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसने परिवादी के अनुसार अपराध किया है। यदि परिवादी और/या गवाहों का परीक्षण करने पर, मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामला बनता है तो उससे आदेशिका जारी करने की अपेक्षा की जाती है।

17. धारा 202 मजिस्ट्रेट को आदेशिका जारी करने को मुलतवी करने और यह विनिश्चय करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच करने या किसी पुलिस अधिकारी या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे वह ठीक समझे, अन्वेषण किए जाने का निर्देश देने की शक्ति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदत्त करती है। धारा 203 के अधीन, यदि परिवादी और उसके गवाहों के बयानों और धारा 202 के अधीन की गई जांच/अन्वेषण के परिणाम, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का यह मत है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान नहीं है, तो वह परिवाद को खारिज कर सकता है। दूसरी ओर, धारा 204 आदेशिका जारी करने का उपबंध करती है यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है।

18. धारा 203, 204 और 209 में प्रयुक्त "पर्याप्त आधार" अभिव्यक्ति का अर्थ यह संतुष्टि है कि अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, न कि दोषसिद्धि के प्रयोजन के लिए पर्याप्त आधार है। दं.प्र.सं. के अध्याय XV और XVI में अंतर्विष्ट उपबंधों के इस निर्वचन को **रामगोपाल गणपतराव रुइया बनाम बॉम्बे राज्य [ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 97 : 1958 क्रि.एल.जे. 244 : 1958 एस.सी.आर. 618]**, **वाडीलाल पांचाल बनाम दत्तात्रेय दुलाजी घाडिगांवकर [ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1113 : 1960 क्रि.एल.जे. 1499 : (1961) 1 एस.सी.आर. 1]**, **चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस [ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1430 : (1963) 2 क्रि.एल.जे. 397 : (1964) 1 एस.सी.आर. 639]**, **निर्मलजीत सिंह हून बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [(1973) 3 एस.सी.सी. 753 :**

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1973 एस.सी.सी. (क्रि.) 521], केवल कृष्ण बनाम सूरज भान [1980 सप्लीमेंट्री एस.सी.सी. 499 : 1981 एस.सी.सी. (क्रि.) 438], मोहिंदर सिंह बनाम गुलवंत सिंह [(1992) 2 एस.सी.सी. 213 : 1992 एस.सी.सी. (क्रि.) 361] और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड [(2008) 2 एस.सी.सी. 492 : (2008) 1 एस.सी.सी. (क्रि.) 471] में इस न्यायालय के निर्णयों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त होता है।

19. चंद्र देव सिंह बनाम प्रकाश चंद्र बोस [ए.आई.आर. 1963 एस.सी. 1430 : (1963) 2 क्रि.एल.जे. 397 : (1964) 1 एस.सी.आर. 639] में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद था, मजिस्ट्रेट आदेशिका जारी करने के लिए आबद्ध था और यद्यपि परिवाद में अपराध के आरोपित व्यक्ति के पास बचाव हो सकता है, मामले को उचित प्रक्रम पर उचित मंच द्वारा विनिश्चय किए जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेशिका जारी करने से केवल तभी इनकार किया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट यह पाता है कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्व-विरोधाभासी (सेल्फ-कॉन्ट्राडिक्टरी) या अंतर्निहित रूप से अविश्वसनीय है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. केवल कृष्ण बनाम सूरज भान [1980 सप्लीमेंट्री एस.सी.सी. 499 : 1981

एस.सी.सी. (क्रि.) 438] में, इस न्यायालय ने धारा 200 से 204 की योजना का परीक्षण किया और अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 503, प्रस्तर 10)

'10. ... अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 और 204 के प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट को केवल यह देखना होता है कि क्या परिवाद और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के अधीन प्रारंभिक जांच के दौरान अभिलिखित साक्ष्य के सरसरी परिशीलन पर, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान है। उसे केवल यह देखना है कि अभियुक्त के विरुद्ध 'कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार' है या नहीं। इस प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट को साक्ष्य को इतनी सूक्ष्मता से नहीं तौलना है मानो वह विचारण न्यायालय हो। साक्ष्य की संवीक्षा करने में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाया जाने वाला मानक वही नहीं है जिसे आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर ध्यान में रखा जाना है।' "

16. ऊपर संदर्भित न्यायनिर्णय(यों) में किए गए संप्रेक्षणों के साथ-साथ ए.आर. अंतुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1984) 2 एस.सी.सी. 500 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संप्रेक्षणों से, जिसके सुसंगत प्रस्तरों का संदर्भ सुबी एंटनी (उपरोक्त) के मामले में पारित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णय के प्रस्तर 6 में दिया गया है, इस न्यायालय का यह मत है कि मजिस्ट्रेट की प्रादेशिक अधिकारिता से बाहर निवास करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी किए जाने से पूर्व, बी.एन.एस.एस. की धारा 225 में इंगित जांच या अन्वेषण, यथास्थिति, आज्ञापक है।

17. मामले के तथ्यों, सुसंगत सांविधिक उपबंधों और साथ ही मामले में अंतर्गस्त विवाद्यों से संबंधित न्यायनिर्णयों पर सम्यक विचार करने के उपरांत, इस न्यायालय का यह मत है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.2024 अपास्त किए जाने योग्य है। इसका कारण यह है कि दिनांक 04.10.2024 के विचाराधीन आदेश से यह सुस्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.2024 पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जो पूर्वोक्त के दृष्टिगत होना चाहिए था।

18. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है। आपराधिक प्रकरण संख्या 5524/2024 में विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग)-1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.10.2024 एतद्वारा अपास्त किया जाता है। मजिस्ट्रेट के लिए विधि के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करना खुला है।

आदेश दिनांक :- 04.02.2026

ज्योति/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(सौरभ लवानिया, न्यायमूर्ति)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।